

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-30प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक / व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	सहारनपुर	स्व0 श्री सरजीत सिंह	सर्वश्री मॉं शाकुम्भरी एण्टप्राइजेज, सहारनपुर	07-09-2025	15-12-2025	श्री सुक्कड सिंह, पिता	10.00 लाख
2	मुरादाबाद	स्व0 श्रीमती शीला	सर्वश्री चौधरी एंटरप्राइजेज, बिजनौर	20-07-2025	25-12-2025	श्री जयप्रकाश सिंह, पति	10.00 लाख
3	सहारनपुर	स्व0 श्री विशाल गोयल	सर्वश्री आर0वी0 टेडर्स, मुजफ्फरनगर	12-10-2025	13-01-2026	श्रीमती रेनू गोयल, पत्नी	10.00 लाख
4	अलीगढ़	स्व0 श्री चौधरी रामवीर सिंह	र्वश्री ओम ईट उद्योग, मथुरा	25-10-2025	03-12-2025	श्री विशाल चौधरी, पुत्र	10.00 लाख
5	झाँसी	स्व0 श्री शहजाद अहमद	सर्वश्री शादाब एण्ड ब्रदर्स, झाँसी	07-12-2024	13-11-2025	श्री नौशाद अहमदा, पिता	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ एवं झाँसी को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सहारनपुर-बी, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मथुरा एवं झाँसी को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।